केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)
आज़ादी का अमृत महोत्सव

सीबीएसई/निदे.(शैक्ष.)/2022 **दिनांक: 07.03.2022**
परिपत्र संख्या: शैक्ष.-34/2022

सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रमुख

विषय: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में।

प्रिय प्रधानाचार्य

जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (IWD) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उपयोग महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाले और लैंगिक समानता की प्राप्ति में बाधा डालने वाले विभिन्न मुद्दों को प्रतिबिंबित करने और उजागर करने के अवसर के रूप में भी किया जाता है।

शिक्षा के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण की गति को आगे बढ़ाने के लिए, स्कूलों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जा सकता है:

1. इस दिवस के विभिन्न विषयों में निर्देश का विषय महिला उपलब्धि हासिल करने वालों पर केंद्रित हो सकता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक अध्ययन विषय में, छात्रों को राष्ट्रीय आंदोलन (1857 से 1947) में महिला स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के बारे में; विज्ञान विषय में, महिला वैज्ञानिकों और उनके द्वारा की गई खोजों/ योगदान के बारे में; और भाषाओं में, महिला लेखकों और कवियों द्वारा साहित्य के विषय में पढ़ाया जा सकता है ।
2. सुबह की विशेष सभा- ऑनलाइन या ऑफलाइन: विभिन्न क्षेत्रों में महिला उपलब्धि पर वार्ता, भूमिका निर्वाहन, दिवस का विचार, महिला सशक्तिकरण पर समूह गीत, शिक्षा, खेल, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार/मान्यता, नृत्य, संगीत, कला, समाज सेवा और अन्य नवीन क्षेत्र।
3. चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षण, सशस्त्र बलों, पुलिस, विमान पायलट, लोकोमोटिव पायलट, एयरोस्पेस इंजीनियरों, भवन और निर्माण, वैज्ञानिकों आदि जैसी पेशेवर महिलाओं के साथ वार्ता आयोजित करना और छात्रों के साथ उनकी बातचीत की सुविधा प्रदान करना।
4. महिला संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को सम्मानित करना।
5. जिले जहां स्कूल/संस्थान स्थित हैं वहां की प्रमुख/प्रेरणादायक महिलाओं पर निबंध लेखन।
6. लिंग आधारित भेदभाव उन्मूलन के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डालना /चर्चा करना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
7. मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर कम हो सके।
8. बच्चे, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए पोषण पर अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित करें।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और अपने स्कूल के हितधारकों के बीच जानकारी का प्रसार करें ताकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लाभकारी तरीके से मनाया जा सके।

शुभकामना सहित

डॉ. जोसफ इमानुवल
निदेशक (शैक्षणिक)

अपने अधिकार क्षेत्र के सभी स्कूलों को सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ नीचे दिए गए अनुसार निदेशालय, संगठनों और संस्थानों के संबंधित प्रमुखों को प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, संस्थागत क्षेत्र, नोएडा201309
3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
4. सचिव, सैनिक स्कूल सोसायटी, कमरा नंबर 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001।
5. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक स्कूल नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005।
6. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110 054
7. सार्वजनिक निर्देश निदेशक (स्कूल), संघ शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
8. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार`, गंगटोक, सिक्किम -737101
9. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर -791 111
10. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
11. शिक्षा निदेशक, एसआईई, सीबीएसई सेल, वीआईपी रोड, जंगली घाट, पीओ 744103, अंडमान और निकोबार द्वीप
12. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, ईएसएसएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर -3, रोहिणी, दिल्ली
13. सेना शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
14. निदेशक एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट-110010
15. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड के संबद्ध स्कूलों के सभी प्रमुखों को इस परिपत्र को भेजें।
16. सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव/एसपीएस/विश्लेषक, सीबीएसई
17. सभी प्रमुख / प्रभारी, उत्कृष्टता केंद्र, सीबीएसई
18. इस परिपत्र को सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ प्रभारी आईटी इकाई
19. प्रभारी, पुस्तकालय
20. प्रमुख (मीडिया और जनसंपर्क), सीबीएसई
21. अध्यक्ष, सीबीएसई के उप सचिव
22. सचिव, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
23. निदेशक (शैक्षणिक), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
24. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
25. परीक्षानियंत्रक, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
26. निदेशक (प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
27. निदेशक (व्यावसायिकपरीक्षा), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
28. निदेशक (सीटीईटी),सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
29. निदेशक (एडुसेट), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
30. रिकॉर्ड फ़ाइल

निदेशक (शैक्षणिक)

नोट : हिंदी परिपत्र में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी परिपत्र को अंतिम माना जाए